सोशल मीडिया सेल आजमगढ

पत्र सं.- *406/21* दिनांक- 28 अगस्त *2021*

प्रेस-विज्ञप्ति

<u>किशोर न्याय अधिनियम *(J.J. Act)* के अन्तर्गत समीक्षा बैठक, अभियान के दौरान माह अगस्त में कुल 31 नाबालिक (16 नाबालिक गुमशुदा तथा 15 नाबालिक बाल श्रम से) बच्चो को मुक्त कराया गया।</u>

आज दिनांक- 28.08.2021 को मासिक समीक्षा समन्वय बैठक/महिला सम्मान प्रकोष्ठ उ0प्र0 लखनऊ अनुसार पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में *AHTU* नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल द्वारा पुलिस लाईन्स सभागार आजमगढ़ में किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत समीक्षा बैठक की गयी। इस बैठक में डा0 राजेश कुमार श्रम विभाग व डा0 राजेश प्रेम लता द्विवेदी किशोर न्याय बोर्ड द्वारा निम्न् बिन्दुओं पर समीक्षा बैठक की गयी।

1. पोक्सो अधिनियम 2012
2. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006
3. बाल सुरक्षा एवं संरक्षण तथा बाल श्रम उन्मूलन,
4. बंधुआ मजदुरी एवं अनैतिक देह व्यापार,
5. गुमशुदा बच्चे
6. मानव तस्करी से सम्बन्धित कई मुद्दो पर समीक्षा बैठक की गयी।

जे.जे. एक्ट बालको से सम्बन्धित अपराध की गोष्ठी का प्रशिक्षण जनपद के सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारी बाल कल्याण समिति, अभया महिला सेवा संस्था, चाईल्ड लाईन 1098, वन स्टाप सेन्टर 181, रोजा संस्था स्वयं सेवी संस्था, श्रम प्रवर्तन अधिकारी भी सम्मलित रहें। पुलिस विभाग व अन्य *NGO* द्वारा बालको से सम्बन्धित जनपद के सभी थानों के उ0नि0 बाल कल्याण अधिकारी व बीट का0 मुन्शी को प्रशिक्षित किया गया।